



जनपद गाजियाबाद

प्रेस नोट

दिनांक-16.11.2021

थाना लोनी पुलिस द्वारा वांछित तीन अभियुक्त गिरफ्तार

श्री पवन कुमार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा अपराध कारित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए वांछितों की तलाश के दौरान निठौरा मोड पर ट्रान्सफार्मर के पास मौ० कुरेशीयान दि०-16/11/2021 समय 5.30 बजे मुकदमे मे वांछित अभियुक्त 1. अनवार उर्फ गंजा पुत्र हाजी इन्नू नि० निठौरा रोड कुरेशीयान मौहल्ला लोनी थाना लोनी गा०बाद 2. मोनू उर्फ शखावत अली पुत्र सनव्वर अली नि० गौरी पट्टी थाना लोनी गा०बाद वर्ष 3. इमरान पुत्र हाजी अजीज नि० मौ० व्यापारियान थाना लोनी गा०बाद को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण :-

1. अनवार उर्फ गंजा पुत्र हाजी इन्नू नि० निठौरा रोड कुरेशीयान मौहल्ला लोनी थाना लोनी गा०बाद
2. मोनू उर्फ शखावत अली पुत्र सनव्वर अली नि० गौरी पट्टी थाना लोनी गा०बाद वर्ष
3. इमरान पुत्र हाजी अजीज नि० मौ० व्यापारियान थाना लोनी गा०बाद

आपराधिक इतिहास :-

मु०अ०सं० 1587/21 धारा 147/148/149/342/307/34 भादवि व 7 criminal amendment act

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

SHO श्री अजय चौधरी

1. उ०नि० नरेन्द्र कुमार
2. उ०नि० श्री अखिलेश उपाध्याय
3. का० 2007 अमित कुमार

थाना लोनी पुलिस द्वारा होटल पर थूक लगाकर रोटियाँ सेकने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार

वादी हरदीप सिंह पुत्र श्री रामप्रसाद निवासी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बार्डर गा०बाद द्वारा दिनांक 15.11.21 को प्रथम सूचना दर्ज करायी कि वाट्सअप ग्रुप मे वायरल वीडियो मे एक व्यक्ति रोटी बनाते समय रोटी पर अपने मुँह का थूक लगा रहा है। इस सूचना पर थाना लोनी पुलिस द्वारा तत्काल मु०अ०सं० 1586/2021 धारा 295/269/270 भादवि व ¾ महामारी अधि० व धारा 51 आपदा पंजीकृत किया गया। तथा रोटी पर थूक लगाने वाले अभियुक्त नवाब पुत्र सलाउद्दीन निवासी पत्थर वाली गली प्रेमनगर लोनी थाना लोनी जिला गा०बाद जो नवीन कुंज बन्धला फ्लाई ओवर के पास खाने का होटल चलाता है को गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

नवाब पुत्र सलाउद्दीन निवासी पत्थर वाली गली प्रेमनगर लोनी थाना लोनी जिला गा०बाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण

अ0सं0 1586/2021 धारा 295/269/270 भादवि व ¾ महामारी अधि0 व धारा 51 आपदा थाना लोनी गा0बाद

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1- उश्री गोविन्द सिंह 0नि0
- 2- है राकेश कुमार 0का0



थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 1 अभि0 गिरफ्तार कब्जे से 21 पच्चे अवैध शराब हरियाणा मार्का CASINO PRIDE WHISKY SALE FOR HARYANA बरामद ।

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों पर चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री नागेन्द्र चौबे की टीम द्वारा दिनांक: 15.11.21 को समय 17.50 बजे नाग गेट से 20 कदम की दूरी पर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद से अभि0 अमरजीत पुत्र मुकेश नि0 आमेठी स्कूल के सामने झुग्गी झोपड़ी बस्ती सै0 1 वसुन्धरा थाना कोसाम्बी जनपद गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष को मय 21 पच्चे नाजायज शराब हरियाणा मार्का CASINO PRIDE WHISKY SALE FOR HARYANA अवैध सहित गिरफ्तार किया गया है।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभि0 अमरजीत उपरोक्त अवैध शराब राह चलते व नशा करने वाले लोगों को गैर प्रान्तीय शराब सस्ते दामो में खरीदकर मंहगे दामो में बेचकर लाभ अर्जित करता है । बरामद शराब के बारे में लाइसेंस मांगा तो नहीं दिखा सका । थाना साहिबाबाद मु0अ0स0 2248/21 धारा 60/63 आबकारी एक्ट पंजीकृत किया गया।



नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

अमरजीत पुत्र मुकेश नि0 आमेठी स्कूल के सामने झुग्गी झोपडी बस्ती सै0 1 वसुन्धरा थाना कोसाम्बी जनपद गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष अभि0गण का अपराधिक इतिहास-

मु0अ0स0 2248/21 धारा 60/63 आबकारी एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 विनोद कुमार अत्री थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
2. है0का0 10 मनवीर सिंह थाना साहिबाबाद गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण:-

21 पच्चे अवैध शराब हरियाणा मार्का CASINO PRIDE WHISKY SALE FOR HARYANA

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 2 अभि0 गिरफ्तार कब्जे से 570 नशीली अल्प्राजोलम गोलिया नाजायज व 1 किलो 170 ग्राम सुल्फा पुडिया बरामद

दिनांक 16.11.2021

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों पर चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री नागेन्द्र चौबे की टीम द्वारा दिनांक: 15.11.21को समय 23.10 बजे डीएवी स्कूल के सामने, लोहिया पार्क के मुख्य गेट के पास थाना साहिबाबाद गाजियाबाद से अभि0 गण 1. संजय पुत्र कालूराम नि0 रामपुरा थाना झिझाना जिला शामली उम्र 32 वर्ष को मय 570 गोलिया अल्प्राजोलम सहित तथा अभि0 2. रोहित उर्फ मंगल पुत्र जयपाल सिंह नि0 ग्राम खानपुर थाना झिझाना शामली से 1 किलो 170 ग्राम सुल्फा सहित गिरफ्तार किया गया है।



अपराध कारित करने का तरीका:-

अभि0 गण उपरोक्त ने पूछताछ मे बताया कि साहब हम लोग नशा करने वाले लोगो को मंहगे दामो पर यह गोलिया व सुल्फा लाकर बेचते है और पैसे कमाते है। बरामद अल्प्राजोलम गोलिया व सुल्फा के बारे मे लाइसेंस मांगा तो नही दिखा सके थाना साहिबाबाद पर मु0अ0स0 2250/21 धारा 8/21 धारा NDPS Act बनाम संजय तथा मु0अ0स0 2251/20 धारा 8/20 धारा बनाम रोहित उर्फ मंगल पंजीकृत किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. संजय पुत्र कालूराम निवर्ष 32 रामपुरा थाना झिझाना जिला शामली उम्र 0
2. रोहित उर्फ मंगल पुत्र जयपाल सिंह निग्राम खानपुर थाना झिझाना शामली 0 उम्र 26 वर्ष

अभि0गण का अपराधिक इतिहास-

1. मु बनाम संजय 21/8 धारा 21/2250 0अ0स0उपरोक्त
2. मुबनाम रोहित उर्फ मंगल 20/8 धारा 20/2251 0अ0स0 उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ 0नि0जयपाल सिंह थाना साहिबाबाद गाजियाबाद

2. उ0नि0 रामबीर सिंह थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
3. है0का0 281 रफीक खान थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
4. है0का0 1204 सुरेश पाल थाना साहिबाबाद गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण:-

570 गोलिया अल्प्राजोलम अवैध अभि0 संजय उपरोक्त बरामद तथा अभि0 रोहित उर्फ मंगल से 1 किलो 170 ग्राम सुलफा बरामद

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 1 अभि0 गिरफ्तार कब्जे से 130 ग्राम नशीला अल्प्राजोलम पाउडर नाजायज बरामद ।

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों पर चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री नागेन्द्र चौबे की टीम द्वारा दिनांक: 16.11.21को समय 12.30 बजे मूवी पैलेस जवाहर पार्क के पास थाना साहिबाबाद गाजियाबाद से अभि शाहिल उर्फ चपटा पुत्र निजामुद्दीन नि0 म0न0 376 के सामने शहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष को मय 130 ग्राम नशीला अल्प्राजोलम पाउडर नाजायज सहित गिरफ्तार किया गया है।



अपराध कारित करने का तरीका:-

अभि0 उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि साहब मैं यह पाउडर नशा करने वाले लोगों को मंहगे दामो पर बेचकर मुनाफा कमाता हूँ बरामद अल्प्राजोलम पाउडर के बारे में लाइसेंस मांगा तो नहीं दिखा सका थाना साहिबाबाद पर मु0अ0स0 2253/21 धारा 8/21 NDPS Act पंजीकृत किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

शाहिल उर्फ चपटा पुत्र निजामुद्दीन नि0 म0न0 376 के सामने शहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष

अभि0गण का अपराधिक इतिहास-

मु0अ0स0 2253/21 धारा 8/21 NDPS Act

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 रवि शंकर पाण्डेय थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
2. है0का0 656 सतेन्द्र थाना साहिबाबाद गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण:-

130 ग्राम नशीला अल्प्राजोलम पाउडर नाजायज

थाना कविनगर द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले चार अभियुक्तगण गिरफ्तार,

कब्जे से 1200 नशीली गोलियां नाजायज बरामद

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा दिनांक 16.10.21 को समय बजे बस स्टैंड गोविन्दपुरम थाना कविनगर क्षेत्र से चैकिंग के दौरान अभियुक्त (1) फिरोज पुत्र अनीस निवासी अफताव कलोनी मुस्तफा मजिस्द ड़ासना थाना मसूरी जनपद गा0बाद (2) नदीम पुत्र रफीक अहमद निवासी मोहल्ला नवीकरीम चन्डी मन्दिर के पीछे हापुड थाना कोतवाली नगर जनपद हापुड व 02 महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से कुल 1200 नशीली गोलियां बरामद हुईं। अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कविनगर पर क्रमशः मु0अ0सं0 1793/21 धारा 8/21 NDPS ACT, मु0अ0सं0 1794/21 धारा 8/21 NDPS ACT, मु0अ0सं0 1795/21 धारा 8/21 NDPS ACT व मु0अ0सं0 1796/21 धारा 8/21 NDPS ACT पंजीकृत किया गया।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्तगण शातिर किस्म का अपराधी है जो अवैध नशीली गोलियों की तस्करी कर अवैध धन अर्जित करते हैं।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

1. फिरोज पुत्र अनीस निवासी अफताव कलोनी मुस्तफा मजिस्द ड़ासना थाना मसूरी जनपद गा 0बाद उम्र करीब वर्ष। 23
2. नदीम पुत्र रफीक अहमद निवासी मोहल्ला नवीकरीम चन्डी मन्दिर के पीछे हापुड थाना कोतवाली नगर जनपद हापुड उम्र करीबवर्ष। 28
3. 02महिला अभियुक्ता

बरामदगी का विवरण -

1. नशीली गोलियां 1200

पंजीकृत अभियोग -

1. मु1793 0अ0सं0/21 धारा 8/ 21NDPS ACT थाना कविनगर गाजियाबाद।
2. मु1794 0अ0सं0/8 धारा 21/ 21NDPS ACT थाना कविनगर गाजियाबाद।
3. मु/1795 0अ0सं0/21 धारा 8/ 21NDPS ACT थाना कविनगर गाजियाबाद।
4. मु8 धारा 1796 0अ0सं0/ 21NDPS ACT थाना कविनगर गाजियाबाद
अभियुक्तगण के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ 0नि0श्री कर्मवीर सिंह थाना कविनगर गाजियाबाद।
2. उश्री विवेकपाल थाना कविनगर गाजियाबाद 0नि0
3. मरविता चौधरी थाना कविनगर गाजियाबाद। 0उ0नि0
4. मरुपा थाना कविनगर गाजियाबाद। 0का0
5. है जय सिंह 0का01029थाना कविनगर गाजियाबाद।
6. का अनोज कुमार 03854थाना कविनगर गाजियाबाद।



आपरेशन स्माइल में 3.5 वर्ष का एक अपहृत मात्र 15 घंटे में सकुशल बरामद

कार्यवाही:—श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद के निकट निर्देशन व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय श्री अभय कुमार मिश्र के कुशल नेतृत्व में एनसीआर क्षेत्र से गुमशुदा/अपहर्ता के विरुद्ध अभियान चलाया गया जिसमें प्रभारी निरीक्षक इंदिरापुरम, गाजियाबाद की टीम द्वारा दिनांक 16.11.2021 को थाना इंदिरापुरम के काला पत्थर रोड से मु0अ0स0-2334/2021 धारा 363 भादवि से सम्बन्धित अपहर्त शिवा उम्र-3.5 वर्ष को उ0नि0 श्री नरेश सिंह व पुलिस टीम द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए बच्चे को सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया गया।

नाम पता अभियुक्त:-

1:- प्रीतम अहिरवार पुत्र श्री कालूराम अहिरवार निवासी बरखेरा चैन थाना रनेह तहसील हटा जिला दमोह मध्य प्रदेश हाल निवासी लेवर चौक खोडा कालोनी थाना खोडा जनपद गाजियाबाद।

घटना का संक्षिप्त विवरण:—दिनांक 15.11.2021 को वादी श्री कमलेश पुत्र कालूराम निवासी मकनपुर गा0बाद द्वारा थाना इंदिरापुरम पर अपने लडके शिवा उम्र 3.5 वर्ष का घर से गायब हो जाने के सम्बंध में अ0स0-2334/2021 धारा 363 भादवि बनाम पंजीकृत कराया गया था जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री नरेश सिंह द्वारा की गयी। जिसकी तलाश हेतु श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय द्वारा पुलिस टीम को आवश्यक दिशा निर्देश देकर टीम गठित कर अपहर्ता के विभिन्न पहलुओ पर जांच करने हेतु निर्देशित किया गया। दौराने कार्यवाही अभियुक्त प्रीतम अहिरवार उपरोक्त का नाम प्रकाश में आया जिसको आज दिनांक 16.11.2021 को उ0नि0 श्री नरेश सिंह व पुलिस टीम द्वारा तत्परता व सर्वािलांस के माध्यम से कार्यवाही करते हुए अपहर्त शिवा उम्र 3.5 वर्ष व अपहरणकर्ता प्रीतम अहिरवार को काला पत्थर रोड से मात्र 15 घंटे की अल्पअवधि में सकुशल

बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया जिसकी स्थानीय लोगों व परिजनों द्वारा पुलिस द्वारा किये गये इस सराहनीय कार्य की भूरी-भूरी प्रशंसा की हैं।

घटना करने का कारण:-

मुकदमा उपरोक्त मे प्रकाश मे आये अभियुक्त प्रीतम अहिरवार से घटना के सम्बंध मे जानकारी की गयी तो पता चला कि वादी कमलेश अभियुक्त प्रीतम का छोटा भाई है वादी कमलेश की पत्नी पूर्व से ही अभियुक्त प्रीतम से फोन पर बात करती थी तथा अवैध सम्बंधो के होने का भी पता चला है। वादी की पत्नी ने घर मे पता चलने पर कुछ समय से अभियुक्त प्रीतम से बात करना बंद कर दिया था जिसको लेकर उसने समय समय पर दबाब बनाने हेतु धमकी भी दी थी तथा दिनांक 15.11.2021 को मुकदमा वादी के पुत्र शिवा उम्र 3.5 वर्ष का अपहरण कर लिया था।

बरामद करने वाली टीम:-

- 1:- उ0नि0 श्री नरेश सिंह, चौकी अभयखंड
- 2:- उ0नि0 श्री यतेन्द्र कुमार चौकी प्रभारी वसुंधरा
- 3:- हे0का0 सुखवीर सिंहए 4:- हे0का0 अमित कुमार
- 5:- हे0का0 अशोक कुमारए 6:- का0 उपेन्द्र कुमार

